जिला–मधुबनी **दिनांक–23.06.2026**

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी

सत्र वाद संख्या : 692 / 2012
साधारण पंजी वाद संख्या–912 / 2010
फुलपरास थाना कांड सं0–161 / 2010

सरकार (द्वारा फुलो देवी पिता–श्याम नंदन साह, सूचक)
साकिन–बेलदारी सिसवार, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी
..... अभियोजन

बनाम

01. रामबाबू साह पिता–अशर्फी साह (उम्र लगभग–70 वर्ष),
02. मोहन प्रसाद साह पिता–अशर्फी साह (उम्र लगभग–75 वर्ष),
03. राम नारायण साह पिता–अशर्फी साह (उम्र लगभग–67 वर्ष),
04. विनय साह पिता–राम बाबू साह (उम्र लगभग–35 वर्ष),
साकिनान–बेलदारी सिसवार, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी
..... अभियुक्तगण

अपराध की तिथि:–22.07.2010
प्राथमिकी की तिथि:–27.07.2010
आरोप पत्र की तिथि:–31.10.2011
संज्ञान की तिथि:–16.07.2012
दौरा सुपुर्दगी की तिथि:–04.10.2012
आरोप गठन की तिथि:–05.01.2013
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–01.02.2013
निर्णय पर नियत करने की तिथि:–17.06.2026
निर्णय की तिथि:–23.06.2026
सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री

निर्णय तिथि–23.06.2026

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. रामबाबू साह, 02. मोहन प्रसाद साह, 03. राम नारायण साह एवं 04. विनय साह का भा0दं0वि0 की धारा–341 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 504 / 34, 307 / 34 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

02. अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचक फुलो देवी के फर्दबयान के आधार पर यह है कि दिनांक 22.07.2010 को सात बजे शाम में अपने खेत से धान का रोपनी कराकर अपने घर लौटी तो सूचिका गाली देने लगी कि पहले मेरा समान कौन ले गया है। सूचिका किसी का नाम लेकर नहीं गाली दे रही थी। उसी समय सूचिका के देवर राम नारायण साह, भैंसुर मोहन प्रसाद साह, भैंसुर राम बाबू साह, जाउत विनय साह गाली गलौज करने गले। जब सुचिका ने गाली देने से मना कि

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी

तो राम नारायण साह टेंगारी चलाया जो सूचिका के सर पर लगा तथा खून बहने लगा। विनय साह लकड़ी के मुगंरी चलाया जो सर लगा तथा खून बहने लगा। बचाने हेतु सूचिका के बेटा अर्जुन कुमार साह, राम रतन साह एवं चन्दन साह आये तो राम बाबू साह मुंगरी चलाया जो सर पर लगा जिससे सर से खून बहने लगा। विनय साह टेंगारी के फसाठ से छाती पर मारा। मोहन प्रसाद साह ने राम रतन साह को मुंगरी से सारे बदन मे मारा है। विनय साह ने सूचिका के छोटा बेटा चन्दन साह को कील वाला फट्टा से दाहिना बांह पर मारा जिससे खून बहने लगा। इसका कारण यह है कि अभियुक्तगण से शीशम का पेड़ संबंधी विवाद चल रहा है। सूचिका के पति बाहर रहते है। ये लोग एक ही आंगन में रहते है जिस कारण हमेशा प्रताड़ित करता रहता है।

03. सूचक के उक्त फर्दबयान के आधार पर थाना फुलपरास में भा0दं0वि0 की धारा–341/323/324/307/504/34 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–161/2010 दिनांकित–23.07.2010 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–31.10.2011 को भा0दं0वि0 की धारा–341/323/324/307/504/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–236/2011 न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोंक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्तगण के विरूद्ध का भा0दं0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 324/34, 504/34, 307/34 के अंतर्गत दिनांक–05.01.2013 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

06. निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

07. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

मंतव्य

08. अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में चिकित्सक को परीक्षित कराया गया है, चूंकि सूचक एवं साक्षियों को अभियोजन द्वारा परीक्षित नही करवाया गया है जिसके कारण किसी भी साक्षी के द्वारा प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया है। अतः चिकित्सक के साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद वर्ष–2012 का पुराना वाद है। अभियोजन द्वारा चिकित्सक के अलावे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया, जबकि न्यायालय द्वारा साक्षीगण की उपस्थिति हेतु समस्त प्रक्रिया निर्गत करते हुए अंतिम अवसर और चेतावनी दी गयी, लेकिन अभियोजन किसी भी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित कराने में पूर्ण रूप से असफल रहा।

09. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 324/34, 504/34, 307/34 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी

आ दे श

10. अभियुक्तगण **01. रामबाबू साह** पिता–अशर्फी साह, **02. मोहन प्रसाद साह** पिता–अशर्फी साह, **03. राम नारायण साह** पिता–अशर्फी साह, **04. विनय साह** पिता–राम बाबू साह, साकिनान–बेलदारी सिसवार, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी को भा0द0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 324/34, 504/34, 307/34 के आरोपों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–232 के अन्तर्गत साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर स्वयं की स्वतंत्रता पर छोड़ा जाता है तथा उनके जमानतदारों अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किया जाता हैं तथा साथ–ही–साथ निर्णय की प्रति धारा–365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) **लेखापित**

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
23.06.2026

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
23.06.2026